

कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ0ग0)

-:: कार्यालय आदेश::-

क्रमांक: 09/दो-11-5/2005

अम्बिकापुर दिनांक 21.08.2023

इस स्थापना में रिक्त पदों के संबंध में गठित भर्ती एवं चयन समिति द्वारा लिये गए लिखित एवं कौशल परीक्षा उपरांत प्रस्तुत अनुशंसा दिनांक 20.08.2023 के आधार पर, निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थी को आदेशिका लेखक के पद पर वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 अंतर्गत मैट्रिक्ट लेबल-4 (19500-62000) पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है:-

सरल क्रमांक	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं दिनांक	चयनित संवर्ग
01	136	पुनीत कुमार भगत, आ0 स्व0 श्री जयराम भगत, वर्तमान निवासी करबला रोड, टंकी टोली, जशपुर, तह. जशपुर, जिला-जशपुरनगर (छ0ग0) पिन कोड- 496331	आरक्षित (अनु0ज0जाति) (मुक्त)

टीप:- चयनित अभ्यर्थी कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

-::नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें::-

- उक्त नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी. (सी) क्रमांक-19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक-372/260/वि/नि/चार/2020, दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश क्रमांक-21/2020) के अनुसार आवेदक को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के न्यूनतम वेतनमान का 70%, द्वितीय वर्ष न्यूनतम वेतनमान 80%, एवं तृतीय वर्ष न्यूनतम वेतनमान का 90% स्टायपेण्ड देय होगा। परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन उस सेवा या पद को लागू वेतनमान के न्यूनतम में नियत किया जावेगा।
- कार्यभार ग्रहण करते समय आवेदक आवश्यक रूप से शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, अन्य समर्थित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेंगे, साथ ही अवलोकन हेतु मूल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदक जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड से एक माह के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह शासकीय सेवा हेतु शारीरिक रूप से सक्षम (फ़ीट) है। यदि वह स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया, तो उसकी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त हो जावेगी।
- नियुक्ति के समय पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म पूर्ति कर 03 प्रतियों में शपथपत्र सहित पेश करेगा, यदि चरित्र सत्यापन में शासकीय सेवा के लिए अनुपयुक्त पाया गया तो सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

- (6) कर्मचारी के परिवीक्षा अवधि में किसी भी पक्ष द्वारा एक माह पूर्व नोटिस अथवा एक माह का वेतन व भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- (7) आरक्षित पद के विरुद्ध चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर के ज्ञा0क्र0- एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 23.06.2013 में संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (8) सेवा में प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन के लिये अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कार्यालय प्रमुख की अनुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु आवेदन अथवा अध्ययन प्रारंभ की जा सकेगी।
- (9) नियुक्ति प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बगैर किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
- (10) शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र किसी भी स्तर पर असत्य अथवा अमान्य पाये जाने पर अथवा अन्य किसी युक्तियुक्त कारणों से नियुक्ति निरस्त करने योग्य पाये जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बिना पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकेगी।
- (11) आवेदक आदेश प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
- (12) आवेदक की पदस्थापना कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर के अंतर्गत आवश्यकतानुसार न्यायालय अथवा अन्य अनुभाग में की जा सकती है।
- (13) नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि में कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अथवा अन्य उपयुक्त कारणों से, उनकी सेवाएँ एक माह का नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकेगी।

sd/—
श्रीमती धनेश्वरी सिदार
न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ0ग0)

पृ0क्र: 236 / दो-11-5/2005

अम्बिकापुर दिनांक 21.08.2023

प्रतिलिपि :-

- (1) रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर की ओर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक-6049/तीन-18-27/2023, बिलासपुर दिनांक 12.05.2023 एवं ज्ञापन क्रमांक-7344/डीई/तीन-18-27/2023, बिलासपुर दिनांक 23.06.2023 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) पुनीत कुमार भगत, आ0 स्व0 श्री जयराम भगत, वर्तमान निवासी करबला रोड, टंकी टोली, जशपुर, तह. जशपुर, जिला-जशपुरनगर (छ0ग0) पिन कोड- 496331 की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- (3) लेखापाल/देयक लिपिक, कुटुम्ब न्यायालय, सरगुजा (अम्बिकापुर) की ओर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (4) सहायक प्रोग्रामर, जिला न्यायालय, अम्बिकापुर की ओर जिला न्यायालय के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।

sd/—
21.8.2023
न्यायाधीश

कुटुम्ब न्यायालय, अम्बिकापुर
जिला-सरगुजा (छ0ग0)

21.08.2023